

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2022

No. 26/2022-Central Excise

G.S.R. 672(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2022-Central Excise, dated the 19th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584(E), dated the 19th July, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Rs. 13,300 per tonne” shall be substituted;
 - (ii) against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 9 per litre” shall be substituted
2. This notification shall come into force on the 1st day of September, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 18/2022-Central Excise, dated the 19th July, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584(E), dated the 19th July, 2022, and was last amended *vide* notification No. 24/2022-Central Excise, dated the 18th August, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 642(E), dated the 18th August, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

सं. 27/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 492(अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "रु. 12 प्रति लीटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 सितंबर, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 492(अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 18 अगस्त, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 641(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।